

349

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

---

पत्रांक-प्र07-विविध-37/2010

5477

खाद्य, पटना/दिनांक- 9.6.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण  
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल का तौल कम करने एवं अपमिश्रण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पेट्रोल पम्पों द्वारा उपभोक्ताओं को भुगतान की गई राशि के विरुद्ध कम पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति करने एवं उनमें अपमिश्रण करने की शिकायतें विभाग को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती हैं ।

विदित हो कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 266 दिनांक 14.01.2008 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी सहित राज्य के कुल 22 श्रेणी के पदाधिकारियों को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) एवं उच्च वेग डीजल (डीजल) के किसी स्थान/परिसर में प्रवेश कर जाँच एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

उपभोक्ताओं को सही तौल एवं अपमिश्रणरहित पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना सरकार का दायित्व बनता है ।

अतएव जिलों में कार्यरत पेट्रोल पम्पों द्वारा सही माप तौल में एवं अपमिश्रितरहित पेट्रोल एवं डीजल की विक्री सुनिश्चित कराने हेतु जिलों में पदस्थापित माप-तौल पदाधिकारी तथा पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की संयुक्त जाँच दल का गठन किया जाय और पेट्रोल पम्पों की नियमित जाँच करायी जाय । जाँच के क्रम में अगर अनियमितता पाई जाती है तो उसके आलोक में कड़ी कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

*Jh 9/06/2011*  
प्रधान सचिव ।